तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज खेमसिंह बनाम लो.सू.अ. (अपर जिला कलक्टर तृतीय जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या 156 / 2019	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.09.19	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी खेमसिंह पुत्र गणपतसिंह निवासी शिकारपुरा तहसील लूणीं जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 15.07.19 में उसके द्वारा (1) कार्यालय सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अपर कलक्टर तृतीय जोधपुर कार्यालय के पत्र कमांक एफ–1 / राज / एन.एच.65 / भूमि अवाप्ति / 2018 / 3118 दिनांक 25.06.18 एवं अन्य के अनुसार ग्राम कांकाणी तहसील लूणी के खसरा नम्बर 794 / 9 में श्री हीराराम पुत्र हरजीराम की होटल दुकान की भूमि अवाप्त की गई भूमि अवाप्ति के कारण मुआवजा हेतु प्रस्तुत सम्पूर्ण पत्रावली की नियमानुसार प्रमाणित, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर तृतीय, जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर तृतीय जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(अपर जिला कलक्टर तृतीय जोधपुर) से आदिनांक तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर तृतीय जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के बारे में प्रार्थी को 15 दिवस में उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	